

# द्वि करने की याचिका पर रि केंद्र से मांगा जवाब



का और प्ली बार्गेनिंग प्रावधानों के तहत  
मान दंड की याचना की है। विदेशियों  
की वकील ने कहा कि अलग-अलग  
कि जुमाना राशि भरने और कोविड-19  
धर लॉकडाउन के उल्लंघन जैसे छोटे  
कों मामलों में दोष स्वीकार करने के बाद  
खा उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि  
में उन्हें वापस भेजने के आदेश भी जारी  
है किए गए थे।

विदेशी नागरिकों का प्रतिनिधित्व  
कर रही वकील अशिमा मंडला ने  
कहा कि यहां के विभिन्न थाना क्षेत्रों  
में दर्ज अन्य प्राथमिकियां लंबित  
होने के कारण वे अपने देश नहीं  
लौट सके। उन्होंने कहा कि जब  
याचिकाकर्ता अपने देश लौटना चाह  
रहे थे तो पता चला कि उनमें से  
प्रत्येक पर एक और प्राथमिकी दर्ज  
है और निचली अदालत में आरोप  
पत्र दायर हो चुका है।

ये 23 याचिकाकर्ता ऑस्ट्रेलिया,  
दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और  
श्रीलंका के नागरिक हैं और पुलिस  
द्वारा दायर आरोप पत्रों में इन्हें आरोपी  
बनाया गया है। वकील ने हाईकोर्ट को  
यह भी सूचित किया कि अमेरिका के  
दो नागरिकों ने प्ली बार्गेनिंग करने से  
इनकार कर दिया है और वे मुकदमे  
का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि  
पहली प्राथमिकी 31 मार्च को दर्ज की  
गई और दूसरी प्राथमिकी बाद में दर्ज  
हुई और इन अतिरिक्त प्राथमिकी के  
बारे में विदेशी नागरिकों को सूचित  
नहीं किया गया।

# धी गियर को रि कार्ड

प्रावधान और रसद (पी एंड एल)  
भुग के अधिकारियों ने कहा  
कि मूल्यांकन के बाद, आवश्यक  
उपकरणों की एक सूची तैयार की  
गई थी और इन वस्तुओं की खरीद  
के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया  
गया था।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप  
सिंह रंधावा ने कहा कि दंगा-  
रोधी उपकरण खरीदने का प्रस्ताव  
पाइपलाइन में है। उन्होंने कहा कि  
हथियार, गोला-बारूद और दंगा-  
रोधी उपकरणों का आकलन समय-  
समय पर किया जाता है ताकि ऐसी  
वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया  
जा सके। मूल्यांकन के आधार पर,  
हम आवश्यक वस्तुओं की एक सूची  
तैयार करते हैं, और धन जारी करने  
के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव

भेजते हैं।

एक्सेस किए गए डेटा से पता  
चलता है कि वर्तमान में पुलिस के  
पास 61,279 आंसू गैस के गोले  
और गैस ग्रेनेड हैं, लेकिन उनमें  
से लगभग 70% या तो एक्सपायर  
हो गए हैं या एक्सपायरी की तारीख  
के करीब हैं। इसी तरह, 16,607  
बुलेटप्रूफ निहित बल के साथ,  
5,104 (लगभग 30%) को  
डिस्पोज किया जाना है। पुलिस के  
पास 18,685 हेल्मेट हैं जिनमें से  
6,718 उपयोग के लिए फिट नहीं हैं।

आकड़ों से पता चलता है कि  
16,486 पॉली कार्बोनेट बॉडी  
शील्ड्स और 23,195 लाठियां,  
2,230 शील्ड्स और 4,531  
लाठियों को बेकार घोषित किया  
गया है।

# रावण मंदिर के पुजारी को भी है राम मंदिर शिलान्यास का इंतजार, बोले- कल मिठाई बाटूंगा

नई दिल्ली, 04 अगस्त (ह.स.)

अयोध्या से 650 किलोमीटर दूर नोएडा में रावण के मंदिर के पुजारी  
को भी राम नगरी में भव्य मंदिर के शिलान्यास की घड़ी का बेसब्री से इंतजार  
है। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में रावण का मंदिर स्थित है। उसके  
पुजारी महंत रामदास का कहना है कि पांच अगस्त को अयोध्या में राम  
मंदिर के भूमि पूजन का उन्हें बेसब्री से इंतजार है और यह रस्म संपन्न



होने के बाद वह लोगों में मिठाई बाटेंगे। महंत रामदास ने न्यूज एजेंसी  
पीटीआई से टेलीफोन पर बातचीत में कहा अगर रावण नहीं होता, तो  
कोई भी श्री राम को नहीं जानता और अगर राम नहीं होते तो दुनिया को  
रावण के बारे में नहीं पता चलता। उन्होंने कहा कि वह अयोध्या में राम  
मंदिर के शिलान्यास को लेकर बेहद प्रसन्न हैं। शिलान्यास के बाद वह  
लोगों में लड्डू बांट कर खुशी मनाएंगे। मंदिर का शिलान्यास एक बहुत शुभ  
घटनाक्रम है। वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण होने पर उन्हें बहुत खुशी  
होगी। महंत ने बताया कि लोकोत्तियों के मुताबिक बिसरख रावण का  
जन्म स्थान है, लिहाजा हम इसे रावण जन्म भूमि भी कहते हैं। उन्होंने  
रावण को परम ज्ञानी व्यक्ति बताते हुए कहा कि सीता का हरण करने के  
बाद रावण ने उन्हें अपने महल में ले जाने के बजाय अशोक वाटिका में  
रखा। इसके अलावा माता सीता की सुरक्षा के लिए महिलाओं को तैनात  
किया। अगर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो मेरा मानना  
है कि रावण भी लोगों की मर्यादा का ख्याल रखता था। महंत रामदास ने  
बताया कि मंदिर में रावण के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती और कुबेर  
की मूर्तियां भी रखी हुई हैं। मंदिर में आने वाले करीब 20 प्रतिशत श्रद्धालु  
रावण की पूजा करते हैं।

**STERLING TOOLS LIMITED**  
CIN: L29222DL1979PLC009668  
Regd. Office: Unit No. 515, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025  
Website: www.stifasteners.com, Email: csec@stifasteners.com,  
Tel No.: +91-129-2270621-25

## NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29(1)(a) read with  
Regulation 47(1)(a) of the Listing Regulations with the Stock  
Exchanges that a meeting of the Board of Directors of the  
Company will be held on **Monday, 10th August, 2020** at  
Faridabad, to inter-alia, consider and approve the Standalone/  
Consolidated Unaudited Financial Results for the First Quarter  
Ended 30th June, 2020.

This information is also available on the Company's website at  
[www.stifasteners.com](http://www.stifasteners.com) and on the Stock Exchanges website at  
[www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Place: New Delhi  
Date: 31.07.2020

For Sterling Tools Ltd.  
Sd/-  
Company Secretary

DML-05/8/20 08/21